केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/93 दिनांक: 10.04.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00079
CICOM/R/2019/00098

अपीलकर्ता : श्री सनत कुमार चौबे,
एस 26/ 42डी, अशोकपुरम् कालोनी,
मीरापुर, बसहीं, वाराणसी,
पिन - 221002.

निर्णय की तारीख: 10.04.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.01.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.02.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. असीजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.03.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	123/03.04.2019 (10874/02.04.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/POSTS/A/2018/158684 के अनुपालन से संबंधित तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में उपलब्ध सूचनाएं अपीलकर्ता को श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.02.2019 को प्रेषित की जा चुकी है एवं संबंधित विभाग को द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/POSTS/A/2018/158684 का अनुपालन करने के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र लिखा जा चुका है । उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु सूचना अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/POSTS/A/2018/158684 के अनुपालन से संबंधित अद्यतन जानकारी अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
10 APR 2019
D. No.
Initials.

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

10/4/2019